वर्ष-6 अंक : 65

सहयोग शुल्क : रु. 1 / मई : 2022

दिव्यांग सेतु

संपादक :- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट

"मानवसेवा એ જ ઈશ્વરસેવા"

दिव्यांगों के सेवा यज्ञ में सहभागी होना हर भारतवासी का कर्तव्य है ।

- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

दिव्यांगों का विकास देश का भी विकास है ।

- प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेबल, पाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटीसे असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

सिविल सर्फर का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरुरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)

संपादकीय

"खुद पर तू कर यकीन, मंजिल की ओर चल दे।
ना हो हताश परेशान, अपने इरादों को बल दे।"

अगर इंसान के मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो उसके जीवन में लाख बाधाए सामने आए, फीर भी वह कामयाबी की और अग्रेसर होता जाएगा। इस समाज में आज भी बहुत ऐसे लोगो है जो लाचार और बेबश है लेकीन अपनी लाचारी के बावजुद भी समाज के सामने वो यह प्रदर्शीत करना चाहते है की अगर हौंसला बुलंद हो तो कामयाबी अवश्य मिलेगी। इसलिए तो कहा गया है की...,

"सकारत्मक सोच और बुलंद हौंसले से
बिनी पंखो के भी उडा जा सकता है।"

ईश्वर के बनाये हुए हर एक इंसान में सबकुछ करने की काबेलियत है। इसलिए दिव्यांग होते हुए भी कभी अपनी क्षमता को कम मत समजीए... ईश्वर के द्वारा की गई इस शारिरीक अक्षमता को चुनौती मानकर जीत हांसिल करना यहीं आपके जीवन का लक्ष्य बनाकर आगे बढते रहीए। आप वह सब कुछ पा सकेंगे जो आप चाहते हो...

"बुलंद हौंसले व इरादे के स्वामी होते है दिव्यांग"

आप सभी को निवेदन है की "दिव्यांग सेतु" पत्रिका में प्रकाशित करने हेतु, आपके आसपास दिव्यांगजनों के अनुलक्ष में हुए कार्यक्रम या कोई दिव्यांग व्यक्ति की जानकारी का ब्यौरा भी आप हमें भेज सकते है।

आओ आप भी हमारे साथ दिव्यांगजनों के सेवाकार्य में हमारा साथ दे...

दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

मई - 2022, पृष्ठ संख्या - 16
वर्ष - 6 अंक - 65

प्रेरणास्त्रोत और संपादक

संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

सह-संपादक

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

संपर्क-सूत्र

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००९

(मो.) 99749 55365, 9974955125

मुद्रक

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल./पी.एचडी. हेतु नेशनल फेलोशिप योजना

यह योजना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा कार्यान्वित एवं वित्त पोषित दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की अंब्रेला योजना का एक घटक है । दिव्यांग विद्यार्थीयों के लिए नेशनल फेलोशिप अथवा एनएफपीडब्ल्यूडी की शुरुआत 1 अप्रैल 2012 को की गई थी । इस योजना के तहत दिव्यांग विद्यार्थीयों को प्रतिवर्ष दी जाने वाली फैलोशिप (जेआरएफ) की कुल संख्या 200 है । इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय सेवा आयोग (यूजीसी) के द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों / संस्थानों को शामिल किया गया है एवं यूजीसी के द्वारा सामान्य रुप से एमफिल/पी.एचडी. करने वाले शोध छात्रों को दी जाने वाली फैलोशिप योजना के पैटर्न पर इसे भी यूजीसी के द्वारा ही कार्यान्वित किया जाता है । इसके लिए अभिभावकों के आय की अधिकतम सीमा नहीं रखी गई है ।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग छात्रों के लिए उच्च शिक्षा खासकर एम.फिल. और पी.एचडी. पाठ्यक्रम जारी रखने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है । असके अलावा, विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याख्याताओं के खाली पड़े पदों पर रोजगार हेतु सक्षम बनाना एवं राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने हेतु प्रभावी ढंग से तैयार करना है ।

पात्रता की शर्ते

1 योजना के प्रावधान के अधीन कोई भी दिव्यांग छात्र यूजीसी मान्यता प्राप्त देश के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश हेतु आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए वहां एम.फिल./ पी.एचडी. उपाधि में प्रवेश लेने के उपरांत फेलोशिप प्राप्त करने हेतु पात्र है ।

2. दो वर्षो के बाद, छात्रवृत्तिधारी छात्र के शोध कार्य की प्रगति संतोषजनक पाई जाती है, तो एसआरएफ के रुप में उसका कार्यकाल अधिकतम 3 वर्षो के लिए बढ़ाया जाएगा, जो कि उम्मीदवार के गाइड की संस्तुति पर और विभागाध्यक्ष के द्वारा विधिवत स्वीकृत होने पर एसआरएफ साल दर साल के आधार पर अंतिम रुप से कुलपति के अनुमोदन के बाद ही स्वीकृत किया जाएगा । यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 3 सदस्य समिति जिसमें गाईड, विभागाध्यक्ष और एक बाहरी, विषय विशेषज्ञ शामिल हैं, के द्वारा शोध कार्य के मूल्यांकन के बाद उम्मीदवार की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो उसका जेआरएफ समाप्त किया जा सकता

है । यह फेलोशिप छात्र को एम.फिल./पी.एचडी. में पंजीकरण और एसआरएफ प्रदान करने की कुल अवधि 5 वर्षो से ज्यादा नहीं होगी ।

३ यदि दिव्यांग छात्र का चयन इस फेलोशिप के लिए अंतिम रुप से कर लिया जाता है तो वह छात्र किसी भी केंद्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय जैसे यूजीसी आदि द्वारा दिए जाने वाले इसी प्रकार के अन्य फैलोशिप का लाभ उठाने का हकदार नहीं होगा । केवल वही छात्र इस फोलोशिप के लिए पात्र माने जाएंगे जो किसी विश्वविद्यालय / शोध संस्थान से नियमित और पूर्णकालिक एम.फिल./ पी.एचडी. कर रहे हैं । किसी भी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / शैक्षिक संस्थान / केंद्रीय / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों को फैलोशिप प्राप्त करने से बाहर रखा जाएगा, भले ही वे एम.फिल./ पी. एचडी. करने के लिए अध्ययन अवकाश अथवा असाधारण अवकाश हें ।

दिव्यांग विद्यार्थी को इस योजना का पात्र होने के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा पास करना पर्याप्त होगा, न्यूनतम अंकों के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होगा । दिव्यांग विद्यार्थियों को नेट / स्लेट परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं होगा ।

फैलोशिप की अवधि

इस योजना के अंतर्गत एम.फिल. पाठ्यक्रम हेतु फेलोशिप की अधिकतम अवधि 2 वर्ष हैं एवं पूरी अवधि तक जूनियर रिसर्च फैलोशिप (जेआरएफ) दिए जाते हैं । परंतु, पी. एचडी. के लिए अधिकतम अवधि 5 वर्ष रखा गया है । इसमें विद्यार्थियों को 2 वर्षो तक के लिए जेआरएफ एवं शेष 3 वर्षो तक सीनियर रिसर्च फैलोशिप (एसआरएफ) दिए जाते हैं । साथ ही, एम. फिल. एवं पीएचडी पाठ्यक्रम एक साथ पूरे करने हेतु फेलोशिप की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है, जिसमें 2 वर्षो तक जेआरएफ एवं शेष 3 वर्षो तक एसआरएफ दिए जाने का प्रावधान है ।

फैलोशिप की दर

जेआरएफ और एसआरएफ के लिए फेलोशिप की दरें यूजीसी फैलोशिप के बराबर दी जाती है । वर्तमान में फैलोशिप की दरें इस प्रकार हैं ।

फैलोशिप - प्रारंभिक 2 वर्षो के लिए जीआरएफ प्रति माह 31,000/- रुपए हैं ।

मानविकी और सामाजिक विज्ञान, जिसमें कला/ललित कला भी शामिल है के लिए आकस्मिक व्यय/कंटी-जेंसीज=प्रारंभिक 2 वर्षो के लिए प्रतिवर्ष 10,000/- रुपए एवं शेष कार्यकाल के लिए प्रति वर्ष

20,000/- रुपए एवं शेष कार्यकाल के लिए प्रतिवर्ष 25,000/- रुपए।

मकान किराया भत्ता (एच आर ए) = वैसे छात्र, जिन्हे हॉस्टल आवास प्रदान नहीं किया जाता है, उन्हें एचआरए का भुगतान यूजीसी पैटर्न के आधार पर किया जाता है । परंतु, यदि छात्र विश्वविद्यालय/संस्थान के द्वारा प्रस्तावित हॉस्टल आवास लेने से मना कर देता है, तो उस छात्र का एचआरए का दावा समाप्त हो जाएगा ।

इसके अलावा उन्हें उनके फेलोशिप कार्यक्रम के मामले में अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा सुविधा, मातृत्व अवकाश सहित सभी अवकाश यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार शासित होगी।

स्लॉट्स की संख्या

प्रतिवर्ष 200 स्लॉट्स । विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्लॉट्स का वितरण मुख्य रुप से संबंधित राज्यों में दिव्यांग विद्यार्थयों की संख्या के अनुपात के अनुसार किया जाता है । पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण यदि किसी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश को आवंटित की गई फेलोशिप की संख्या का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है, तो खाली स्लॉट्स उन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित किए जाते हैं जहां पात्र उम्मीदवारों की संख्या आवंरित स्लॉट से अधिक होते हैं।

यूजीसी की भूमिका

यूजीसी समाचार पत्रों में इस योजना को यशोचित विज्ञापन के माध्यम से अधिसूचित करेगा और एनएफपीडब्ल्यूडी प्रदान करने के लिए ओनलाइन आवेदन आमंत्रित करेगा । आवेदकों को आवेदन के लिए 1 माह का समय दिया जाएगा।

फेलोशिप देने संबंधित उम्मीदवारों का चयन यूजीसी के द्वारा किया जाएगा।

एनएफपीडब्लूडी प्रदान करने के संबंध में यूजीसी का निर्णय अंतिम होगा, इस संबंध में यूजीसी द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी ।

यूजीसी एसआरएफ प्रदान करने के उद्देश्य से दिव्यांग छात्रों द्वारा किए गए शोध कार्य के निष्पादन का भी मूल्यांकन करेगा।

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए यूजीसी और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नोडल एजेंसी होंगे । दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, यूजीसी के द्वारा एनएफपीडब्ल्यूडी के तहत जेआरएफ और एसआरएफ के लिए लाभार्थियों की सूची प्राप्त होने के उपरांत चिन्हित छात्रों के लिए फेलशिप राशि को ओनलाइन / इलेक्ट्रोनिक स्थानांतरण सुनिश्चित करेगा।

विभाग के द्वारा फेलोशिप कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन की जाएगी।

दिव्यांग टीचरों को प्रमोशन में मिलेगी स्पेशल प्राथमिकता, 3 प्रतिशत कोटा निर्धारित

शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों का प्रोमेशन को लेकर तैयारी की जा रही है । जल्द ही शिक्षा विभाग शिक्षकों को प्रोमेशन देगा । इसकी सप्ताहभर में सूची जारी होगी । इसे लेकर शिक्षा विभाग अधिकारियों ने सभी शिक्षकों से उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर कागजात मांगे हुए है । असमें दिग्यांग शिक्षको को स्पेशल प्राथमिकता दी जाएगी । इसके तहत तीन प्रतिशत का कोटा दिया जाएगा । उदाहरण के तौर पर 100 शिक्षक अपग्रेड करने है तो उनमें तीन दिव्यांग होंगे । इसे लेकर बुधवार को सभी जिलों से विभागीय अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में बैठक बुलाई गई थी । उसी में यह निर्णय लिया गया ।

जल्द होगी सूची जारी

शिक्षा विभाग के अनुसार हिसार जिले में 100 दिव्यांग शिक्षक है । इनमें हिंदी, संस्कृत, ड्राइंग टीचर एवं पंजाबी सहित अन्य शिक्षक है, जो दिव्यांग है । यह सभी प्रोमेशन में शैक्षिक योग्यता रखते है । मगर सभी की मेडिकल प्रमाण-पत्र की अपनी योग्यता है । इसका भी प्रावधान है कि वह नए सिरे से प्रमाण-पत्र बनवाएं । वरना मान्य नहीं होगा । इसके लिए शिक्षा विभाग संबंधित टीचरों को सूचना करेगा । विभाग के अनुसार एक सप्ताह के अंदर सूची जारी कर दी जाएगी ।

किस श्रेणी में होंगे अपग्रेड

जेबीटी - हेड टीचर

संस्कृत या हिंदी विसेष योग्यता वाले टीचर - सी एंड वी

ये चाहिए प्रमाण पत्र

विभाग के अनुसार मेडिकल प्रमाण-पत्र भी तीन तरह के होते है । एक तो स्थायी प्रमाण-पत्र होता है, जिसे कभी भी प्रयोग कर सकते है । दूसरा निर्धारित प्रमाण-पत्र, जिसे एक या दो साल बाद दोबारा से बनवाना पड़ता है । तीसरा अस्थायी प्रमाण-पत्र, जिसे बार-बार बनवाना पड़ता है । यानी जब भी किसी भर्ती में इस्तेमाल करना होता है तो उनको नए सिरे से प्रमाण-पत्र बनवाना होता है ।

अधिकारी के अनुसार

प्रमोशन में दिव्यांग शिक्षकों को स्पेशल तीन प्रतिशत कोटा दिया जाएगा । जिले में 100 के आसपास दिव्यांग शिक्षक है । आवेदन भरवा लिए है । जल्द ही सूची जारी की जाएगी ।

आयुष पैरों की उंगली से बनाते हैं पेंटिग

पीएम मोदी फॉलो करते हैं दिव्यांग आयुष कुंडल को

मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के बड़वाह के निवासी आयुष कुंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है । इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टवीट के जरिए दी । उन्होंने लिखा आयुष से मिलना उनके एक अविस्मरणीय क्षण बन गया । आयुष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की इच्छा जताई थी । आयुष दिव्यांग हैं और अपने पैरों से पेंटिंग बनाते हैं । प्रधानमंत्री के साथ वो स्वामी विवेकानंद की एक पेंटिंग के साथ नजर आ रहे हैं ।

आयुष से मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने टवीटर पर लिखा, आज **@aayush_kundal** से मिलना मेरे लिए एक अविस्मरणीय क्षण बन गया । आयुष ने जिस प्रकार पेंटिंग में महारत हासिल की और अपने पैर की उंगलियों से आकार दिया, वो हर किसी को प्रेरित करने वाला है । अनवरत प्रेरणा मिलती रहे, इसलिए मैं उन्हें टिवटर पर फॉलो कर रहा हूं ।

आयुष खरगोन से 80किमी दूर बड़वाह नगर में रहते हैं, वो जन्मजात विकारों के चलते पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते हैं । उसके हाथ भी

वोइस टू दिव्यांग

काम नहीं करते हैं । वो बोल भी नहीं पाते हैं । इतनी शारीरिक कमियां होने के बाद भी अपने पैरों से पेंटिंग बनाते हैं ।

पिछले साल आयुष ने सुपर स्टार अमिताभ बच्चन की पेंटिंग अपने पैरों से बनाई थी । आयुष ने अपने परिजनों के साथ मुंबई जाकर अमिताभ को उनके बंगले पर यह पेंटिंग उन्हें भेंट की थी । अमिताभ बच्चन उनकी कला को देख कर अभिभूत हो गए थे । अभिताभ ने आयुष की पेंटिंग को टिवटर पर शेयर कर उनकी कला की सराहना की थी ।

शुरुआती दिनों में उन्हें पैर से ड्राइंग और पेंटिंग बनाने में काफी परेशानी होती थी, लेकिन कहने है न 'करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान'. उन्होंने धीरे-धीरे अपने पैरों से ड्राइंग और पेंटिंग के कौशल में महारत हासिल कर ली । आयुष ने इंदौर में तमाम प्रदर्शनियों में अपने चित्रों का प्रदर्शन कर प्रथम पुरस्कार जीत चुके हैं । आयुष अक्टूबर 2021में एक प्रोविजनल स्ट्रडेंट आर्टिस्ट के रुप में एमएफपीए में ज्वॉइन कर चुके हैं ।

आयुष कुंडल का जन्म 27अप्रैल 1997 को हुआ । वह अपने शरीर के 80 फिसदी हिस्से में सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है, जिसकी वजह से वह दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए अपनी मां पर निर्भर रहते हैं । आयुष ने 10 साल की उम्र में दिव्यांग के एक स्कूल में दाखिला लिया था । उन्होंने धीरे-धीरे ड्राइंग और स्केचिंग में रुचि विकसित की । उनका कहना है कि जब उन्होंने रंग को भरना शुरु किया तो फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा ।

सड़क किनारे का वो भिखारी निकला शहंशाह, भीख में मिले पैसे से गरीब बच्चों के स्कूल की भरता है फिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भिखारी राजू के हुए मुरीद

यह दिव्यांग भिखारी है, जिसके कटोरे में औरों के लिए खुशियां जुटती हैं । गंदे कपड़े, धूल से लथपथ.. कभी रेंगते हुए तो कभी व्हीलचेयर पर पंजाब के पठानकोट में भीख मांगता राजू चलने फिरने में असमर्थ है । शहर में ऐसा कोई नहीं जो राजू को ना जानता हो । अधिकांश लोग उसे जानते हैं.. और जो नहीं जानते, उसे देखकर उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं । राजू का अंदाज ही कुछ ऐसा जो लोगो को जब उसके नेक कामों के बारे में पता चलता है तो भीख देने के लिए बढ़े हाथ सलाम को उठ जाते हैं ।

राजू बचपन से दिव्यांग है । बचपन में बी राजू के सिर से माता-पिता का साया उठ गया था । राजू के तीन भाई और तीन बहनें हैं । दिव्यांग होने की वजह से उन्होंने 30 साल पहले राजू को बेसहरा छोड़ दिया था । सड़क पर भीख मांगने के अलावा जीने को कोई जरिया न था । नियति को स्वीकर कर भीख मांगना शुरु कर दिया । भाई-बहन फिर उससे कभी नहीं मिले । सड़क पर भीख मांगता हर बच्चा, हर भिखारी उसे अपना लगता । भीख में जो मिलता , उससे पेट पल जाए बस इतना ही उसे चाहिए था । जो बचता, वह जरुरतमंदों के हवाले कर देता ।

राजू भीख तो मांगता पर जितने पैसे मिलते उसे जोड़कर लोगों की मदद करता है । औरों की मदद को हर समय तत्पर रहता है । समाजसेवा के कई काम करता है । जरुरत जहां भी हो, यदि राजू की हैसियत में है, तो वह मुंह नहीं ताकता । एक बार शहर की ढांगू रोड का एक पुल टूट गया था । इस पुल के टूटने की वजह से कई लोग घायल हो गए थे । एक दिन राजू भी इसी पुलिया पर हादसे का शिकार हो गया । इसके बाद उसने मिस्त्री बुलाकर पुलिया की मरम्मत शुरु करा दी । पुलिया बन कर तैयार है ।

वोइस टू दिव्यांग

राजू करता है, अब कोई घायल नहीं होगा शहर के लोगों को जब पता चला कि पुलिया राजू ने बनवाई, तो सभी ने राजू को सलाम कर अपना दायित्व पूरा किया । इसके बाद से राजू ने हर किसी की मदद करने की ठान ली । राजू अब कई बेसहारों का सहारा बना हुआ है । महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर साल कुछ सिलाई मशीनें उपलब्ध कराता है । कुछ बच्चों की फीस का खर्च उठाता है । कॉपी - किताब के लिए मदद करता है । कहता है, ये सब मेरे अपने हैं । इनकी मदद करके मन को शांति मिलती हैं ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम 'मन की बात' में इस भिखारी की जमकर तारीफ की है ।

पीएम मोदी ने 'मन की बात 2.0' की 12वी कड़ी में अपने संबोधन में भिखारी राजू द्वारा की जा रही जन सेवा के कार्यो की प्रशंसा करते हुए कहा कि दूसरों की सेवा में लगे व्यक्ति के जीवन में, कोई अवसाद या तनाव, कभी नही दिखता । उसके जीवन में, जीवन को लेकर उसके नजरिए में, भरपूर आत्मविश्वास, सकारात्मकता और जीवंतता प्रतिपल नजर आती है । उन्होंने कहा कि पंजाब के पठानकोट से भी एक ऐसा ही उदाहरण मुझे पता चला । जहां गरीबों के लिए मसीहा बनने वाले इस शख्स का नाम राजू है ।

विश्व थैलेसीमिया दिवस - 8 मई

दुनियाभर में हर साल 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे (World Thalassaemia Day) मनाया जाता है। थैलेसीमिया बच्चों को उनके माता-पिता से मिलने वाला आनुवांशिक रक्त रोग है, इस रोग की पहचान बच्चे में 3 महीने बाद ही हो पाती है। इसको मनाने का सबसे बड़ा लक्ष्य है लोगों को रक्त संबंधित इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरुक करना है।

विश्व थैलेसीमिया दिवस का इतिहास

वर्ष 1994 में पहली बार विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाने के विषय में सोचा गया। थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा इस दिन की स्थापना की गई। जॉर्ज एंगलजोस, जो कि थैलेसीमिया अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन के अध्यक्ष और संस्थापक के रुप में काम करते थे और अन्य सभी थैलेसीमिया रोगियों की स्मृति में दिन को मनाने का निर्णय लिया गया।

थैलेसीमिया क्या है ?

★ थैलेसीमिया एक स्थायी रक्त विकार (Chronic Blood Disorder) है। यह एक आनुवंशिक विकार है, जिसके कारण एक रोगी के लाल रक्त कर्णों (RBC) में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है।

★ इसके कारण एनीमिया हो जाता है और रोगियों को जीवित रहने के लिए हर दो से तीन सप्ताह बाद रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है।

★ थैलेसीमिया माता-पिता के जींस के माध्यम से बच्चों को मिलने वाला एक आनुवंशिक विकार है।

★ प्रत्येक लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन के अणुओं की संख्या 240 से 300 मिलियन के बीच हो सकती है।

★ रोग की गंभीरता जीन में शामिल उत्परिवर्तन और उनकी अंतःक्रिया पर निर्भर करती है।

थैलेसीमिया के प्रकार

★ **थैलेसीमिया माइनर -** थैलेसीमिया माइनर में, हीमोग्लोबिन जीन गर्भधारण के दौरान विरासत में मिलता है, इसमें एक जीन माँ से और एक पिता से मिलता है। एक जीन में थैलेसीमिया के लक्षण वाले लोगों को वाहक के रुप में जाना जाता है या उन्हें थैलेसीमिया माइनर ग्रस्त कहा जाता है। थैलेसीमिया माइनर कोई विकार नहीं है इसमें व्यक्ति को केवल हल्का एनीमिया होता है।

★ **थैलेसीमिया इंटरमीडिया -** ये ऐसे मरीज़ हैं, जिनमें हल्के से लेकर गंभीर लक्षण तक मिलते हैं।

★ **थैलेसीमिया मेजर -** यह थैलेसीमिया का सबसे गंभीर रुप है। ऐसा तब होता है, जब एक बच्चे को माता-पिता प्रत्येक से दो उत्परिवर्तित जीन मिलते हैं। थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त बच्चे में जीवन के पहले वर्ष के दौरान गंभीर एनीमिया के लक्षण विकसित होते हैं। जीवित रहने के लिये उन्हें अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण (Bone Marrow Transplant) या नियमित रुप से रक्त चढ़ाए जाने की आवश्यकता होती है।

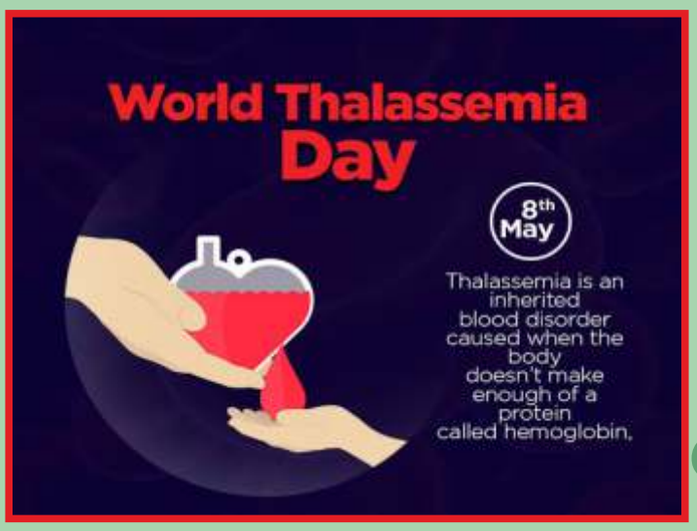

थैलेसीमिया के लक्षण -

- ★ **बार-बार स्वास्थ्य अस्वस्थ रहना**
- ★ **सर्दी, जुकाम बने रहना**
- ★ **कमजोरी और उदासी रहना**
- ★ **आयु के अनुसार शारीरिक विकास न होना**
- ★ **शरीर में पीलापन बना रहना व दांत बाहर की ओर निकल आना**
- ★ **सांस लेने में तकलीफ होना**
- ★ **कई तरह के संक्रमण होना ऐसे कई तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं ।**

कैसे करें थैलेसीमिया से बचाव -

- ★ विवाह से पहले महिला-पुरुष की रक्त की जांच कराएं
- ★ गर्भावस्था के दौरान इसकी जांच कराएं
- ★ मरीज का हीमोग्लोबिन 11 या 12 बनाए रखने की कोशिश करें
- ★ समय पर दवाइयां लें और इलाज पूरा लें ।

थैलेसीमिया एक प्रकार का रक्त रोग है । यह दो प्रकार का होता है । यदि पैदा होने वाले बच्चे के माता-पिता दोनों के जींस में माइनर थैलेसीमिया होता है, तो बच्चे में मेजर थैलेसीमिया हो सकता है, जो काफी घातक हो सकता है । पालकों में से एक ही में माइनर थैलेसीमिया होने पर किसी बच्चे को खतरा नहीं होता । अतः जरुरी यह है कि विवाह से पहले महिला-पुरुष दोनों अपनी जांच करा लें ।

थैलेसीमिया के बारे में कुछ अहम तथ्य -

थैलेसीमिया पीड़ित के इलाज में काफी खून और दवाइयों की जरुरत होती है । इस कारण सभी इसका इलाज नहीं करवा पाते, जिससे 12 से 15 वर्ष की आयु में बच्चों की मौत हो जाती है । सही इलाज करने पर 25 वर्ष व इससे अधिक जीने की उम्मीद होती है । जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, खून की जरुरत भी बढ़ती जाती है । अतः सही समय पर ध्यान रखकर बीमारी की पहचान कर लेना उचित होता है ।

अस्थि मंजा ट्रांसप्लांटेशन (एक किस्म का ओपरेशन) इसमें काफी हद तक फायदेमंद होता है, लेकिन इसका खर्च काफी ज्यादा होता है । देश भर में थैलेसीमिया, सिकल सेल, सिकलथेल, हिमोफेलिया आदि से पीड़ित अधिकांश गरीब बच्चे 8-10 वर्ष से ज्यादा नहीं जी पाते ।

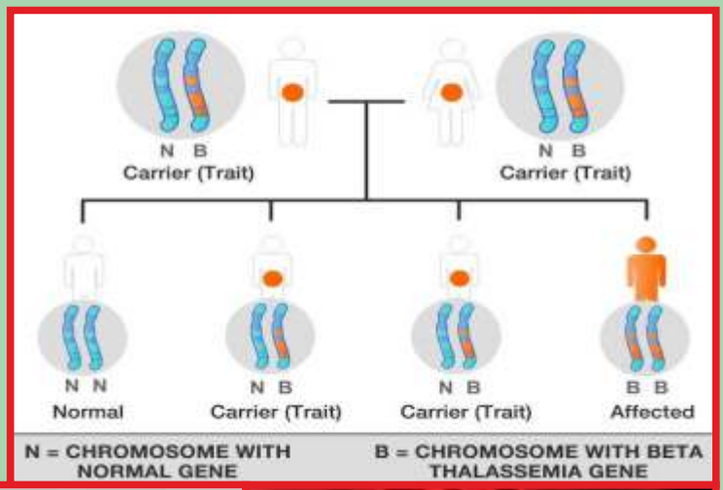

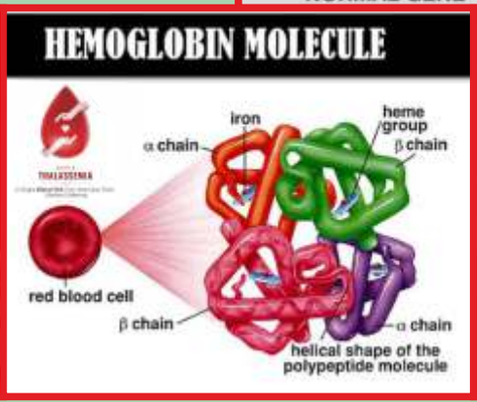

राजस्थान के दो दिव्यांगजनो को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में दिए पद्म पुरस्कार

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य पद्म सम्मान समारोह में राजस्थान के पैरा - ऐथलिट, जैवलिन थ्रोलर श्री देवेंद्र झाझरिया, जयपुर की पैरा खिलाडी, शुटर सुश्री अवनी लखेरा को पद्मश्री से सम्मानित किया।

पैरालंपिक खेलों में तीन मेडल जीतने वाले राजस्थान के जैवलिन थ्रोअर श्री देवेंद्र झाझरिया खेल के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा खिलाड़ी हैं। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020में भी देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीता था। इससे पहले किसी भी एकल स्पर्धा में भारत के लिए पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले चूरु के जैवलिन थ्रोअर देवेंद्र झाझरिया को काम 2004 और साल 2016 पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए खेल जगत का सर्वोच्च राजीव गांधी खेल रत्न अवॉर्ड, पद्मश्री अवार्ड, अर्जुन अवॉर्ड सहित विभिन्न अवार्ड और पुरस्कार मिल चुके हैं।

सुश्री अवनी लखेरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 में विमेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतकर रिकॉर्ड कायम किया था। टोक्यो पैरा ओलेंपिक में ही सुश्री लखेरा ने दूसरे मेडल के तीर पर ब्रोंज मेडल भी जीता और दो पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी।

गायत्री विकलांग मंडल द्वारा 27 मार्च 2022 को गणेश पूजन ,नवग्रह पूजन एवं सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था । सुबह 8:00 बजे से पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पूजा विधि का समापन किया गया उसके बाद सामूहिक विवाह मैं दाताओं द्वारा मिले हुए अनुदान से 15 नव दंपतियों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम शास्त्रोक्त विधि के साथ किया गया और सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया । गायत्री विकलांग मंडल की ओर से यह 11वे सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर